न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:	ओमप्रकाश वर्मा (आर0ए0एस0)
राजस्व वाद संख्या :	174 / 2025
जीसीएमएस संख्या—	2025 / 564
निर्णय दिनांक:	02.01.2026

सुरजा देवी बनाम राजस्थान सरकार

—:निर्णय:—

दिनांक: 02.01.2026

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह वाद—पत्र वादिनी सुरजा देवी पत्नी अमरचन्द जाति जाट निवासी खीचीवाला तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने के से वाद पत्र की पत्रावली संधारित की गयी। राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम खीचीवाला की जमाबन्दी संवत् 2076—2079 के खाता संख्या 68, 69 में वादीनी का नाम सुरजा पत्नी अमराराम दर्ज है। जो गलत है। वादिनी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार सुरजा देवी पत्नी अमरचन्द अंकित है। वादिनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

वाद पत्र के साथ शिविर प्रभारी / तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट संलग्न है। शिविर प्रभारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में वादिनी का नाम सुरजा पत्नी अमराराम दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ.नि. की रिपोर्ट के अनुसार वादिनी का नाम सुरजा देवी पत्नी अमरचन्द है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।

वाद–पत्र का अवलोकन किया गया। वादिनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, परियच पत्र, वोटर आईडी कार्ड एवं तहसीलदार सुजानगढ की अभिशंषा से वादिनी का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध होना सिद्ध होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा स्वीकार किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि वादिनी का नाम निम्नलिखित तालिका में कॉलम संख्या 05 में अंकित अनुसार है जो वादिनी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरू तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2075–2078 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में अंकन निम्नानुसार दुरूस्त किया जाए–

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	खीचीवाला	68, 69	सुरजा पत्नी अमराराम	सुरजा देवी पत्नी अमरचन्द

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2026 को लिखाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश वर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जब्ता दावानी)

(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़
सुरजा देवी बनाम राज. सरकार
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती
मुकदमा न0 174 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु–ब–रु...................... हाजरी ....एड. मिनजानिब मुद्दई .... मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादिनी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरू तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076–2079 के राजस्व रिकॉर्ड के निम्न ग्राम की प्रविष्टि में अंकन निम्न तालिका अनुसार दुरूस्त किया जाए–

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	खीचीवाला	68, 69	सुरजा पत्नी अमराराम	सुरजा देवी पत्नी अमरचन्द

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे।

चीज ....मुबलिग .... बाबत ....

..

खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक ....

.... को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 02 माह 01 वर्ष 2026**

न्यायालय मोहर

हस्ताक्षर

पद

मुद्दई	रुपया	पै.	मुद्दायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर वावत इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत		
मुतफरिक मीजान			इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

नोट : खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये